

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 06, शुक्रवार, शके 1947- जून 27, 2025 Asadha 06, Friday, Saka 1947- June 27, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 20, 2025

संख्या प.2(8)वन/2025 :- चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की संपत्ति है या उनमें सरकार के स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि, सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार एवं प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार एवं प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्ति करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तु (PROVISO) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसार में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद् द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न:- प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जाँय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची

क्र. स.	नाम वनखण्ड/ नाम चक	नाम तहसील	नाम जिला	वन खण्ड का क्षेत्रफल	वन खण्ड के क्षेत्रफल का विवरण			सीमा	वि.वि.
					नाम ग्राम/ चक	ख न./मु.न. मय किला नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 BSM पार्ट-अ	बज्जू	बीकानेर	20.83 97 हेक्टेयर	1 BSM	1/8	2	0.252 9	उत्तर - नहर
							9	0.252 9	दक्षिण - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 221/64,1/8
							10	0.252 9	पूर्व - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 1/8
							11	0.252 9	पश्चिम - काश्तकार मुरब्बा नहर
							12	0.252 9	
							18	0.252 9	

							19	0.252 9		
							20	0.252 9		
							21/1	0.101 2		
							22/1	0.151 8		
							23/1	0.151 8		
							योग	2.428 0		
						221 /64	15	0.252 9		
							16	0.252 9		
							17	0.252 9		
							24/1	0.151 8		
							25/1	0.151 8		
							योग	1.062 3		
						पार्ट-अ का योग =		3.490 3		
	1 BSM पार्ट- ब				1 BSM	1/14	15	0.252 9	उत्तर - नहर	
							16	0.252 9	दक्षिण - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 1/15, 23, 22, 30	मुरब्बा नम्बर 1/30 के किला नम्बर 1,10,11 मै खाला है।
							17	0.252 9	पूर्व - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 1/30,37	मुरब्बा नम्बर 1/29 के किला नम्बर 21,22,23, 24,25 मै रास्ता है।
							23	0.252 9	पश्चिम - नहर	
							24	0.252 9		
							25	0.252		

								9		
							योग	1.517 4		
						1/15	3	0.252 9		
							4	0.252 9		
							5	0.252 9		
							6	0.252 9		
							7	0.252 9		
							8	0.252 9		
							9	0.252 9		
							11	0.252 9		
							12	0.252 9		
							13	0.252 9		
							14	0.252 9		
							18	0.252 9		
							19	0.252 9		
							योग	3.287 7		
						1/21	16	0.252 9		
							24	0.252 9		
							25	0.252 9		
							योग	0.758 7		
						1/22	3	0.252 9		
							4	0.252 9		
							5	0.252 9		

							6	0.252 9		
							7	0.252 9		
							8	0.252 9		
							12	0.252 9		
							13	0.252 9		
							14	0.252 9		
							17	0.252 9		
							18	0.252 9		
							19	0.252 9		
							20	0.252 9		
							21	0.252 9		
							22	0.252 9		
							23	0.252 9		
							योग	4.046 4		
						1/23	1	0.252 9		
							2	0.252 9		
							3	0.252 9		
							योग	0.758 7		
						1/29	18	0.252 9		
							19	0.252 9		
							20	0.252 9		
							21/1	0.101 2		
							22/1	0.151		

								8		
							23/1	0.151 8		
							24/2	0.151 8		
							25/2	0.151 8		
							योग	1.467 1		
						1/30	1/2	0.151 8		
							2	0.252 9		
							3	0.252 9		
							4	0.252 9		
							8	0.252 9		
							9	0.252 9		
							10/2	0.151 8		
							11/2	0.151 8		
							12	0.252 9		
							योग	1.972 8		
						पार्ट- ब का योग =		13.80 88		
	1 BSM पार्ट- स				1 BSM	2/18	14	0.252 9	उत्तर - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 2/18,26	
							15	0.252 9	दक्षिण - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 2/19,27	
							16	0.252 9	पूर्व - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 2/26	
							17	0.252 9	पश्चिम - काश्तकार मुरब्बा नम्बर -2/18	
							23	0.252 9		

							24	0.252 9		
							25	0.252 9		
							योग	1.770 3		
						2/2 6	17	0.252 9		
							20	0.252 9		
							21	0.252 9		
							22	0.252 9		
							23	0.252 9		
							24	0.252 9		
							योग	1.517 4		
						पार्ट - स का योग=		3.287 7		
	1 BSM पार्ट- द				1 BSM	2/11	25	0.252 9	उत्तर - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 2/11	
							योग	0.252 9	दक्षिण - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 2/12	
						पार्ट- द का योग =		0.252 9	पूर्व - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 2/19	
									पश्चिम - काश्तकार मुरब्बा नम्बर -2/11	
			1 BSM पार्ट अ +ब +स + द का महायोग 3.8442 + 13.8088 + 3.2877 + 0.2529 =					20.83 97 (हैक्टेयर)		

अशवनी कुमार सिंह,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इकाई 6-931 RD बज्जू।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II
बीकानेर।

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	<i>Azadirachta indica</i> , A. juss	नीम
2	<i>Acacia arubica</i> Willd	बबूल
3	<i>Acacia jacquemontii</i>	बोवली
4	<i>Aerua tomentosa</i>	बुई
5	<i>Cordia Myxa</i> , Linn	लसोड़ा
6	<i>Cordia rothi</i>	गूंदी
7	<i>Calligonum polygonoides</i>	फोग
8	<i>Calotropis procera</i> R.Sr	आक
9	<i>Cassia fistula</i> , Linn	अमलतास
10	<i>Capparis decidua</i>	केर
11	<i>Cenchrus ciliaris</i>	धामण घास
12	<i>Dalbergia sissoo</i> , Roxb	शीशम
13	<i>Encalyptus</i> spp	सफेदा
14	<i>Ficus religiosa</i> , Linn	पीपल
15	<i>Ficus bengalensis</i> Linn	बड़
16	<i>Lasiurus indicus</i>	सेवान घास
17	<i>Leptadenia reticulata</i> Wight & Ar	खीप
18	<i>Morus alba</i> , Linn	शहतूत
19	<i>Ricinus communis</i>	अरण्ड
20	<i>Prosopis spicigera</i>	खेजड़ा
21	<i>Prosopis cineraria</i>	खेजड़ी
22	<i>Prosopis juliflora</i>	विलायती खेजड़ा
23	<i>Salvadora oligoides</i>	पीलू
24	<i>Salvadora persica</i>	जाल
25	<i>Saccharum munja</i>	मुंजा घास
26	<i>Acacia tortilis</i>	इजराइल बबूल
27	<i>Tecomella undulata</i>	रोहिड़ा
28	<i>Zizyphus jujuba</i> Lam	बेर
29	<i>Zizyphus xylopyra</i> Willd	घोट
30	<i>Zizyphus nummularia</i>	झड़ बेर
31	<i>Haloxylon salicornicum</i>	लाणा

अशवनी कुमार सिंह,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इकाई 6-931 RD बज्जू।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II
बीकानेर।

(परिशिष्ट)

**प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण- पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)**

नाम वनखण्ड/चक :- 1 बी.एस.एम.

रेंज- इकाई षष्ठम 931 आर.डी.

नाम वन मण्डल - उप वन संरक्षक, स्टेज-II, बीकानेर।

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषिपायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में एस.बी.पी. का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्र में सी.एस.पी. वृक्षारोपण का कार्य 1996-97, करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है भविष्य में कुछ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व लगभग 48 प्रतिशत है इन वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियां बैर, खेजड़ी, टोर्टलिस का लगभग 48 प्रतिशत है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों, अराजीराज, सडक का है चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों में वांछित मानत्रित (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधी पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

अशवनी कुमार सिंह,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इकाई 6-931 RD बज्जू।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II
बीकानेर।